अध्याय - 10
ठेका श्रम

10.1 भारत में, ठेका श्रमिक सामान्यतः उन कामगारों को कहा जाता है जिन्हें प्रयोगकर्ता एंटरप्राइज के लिए ठेकेदार द्वारा काम पर लगाया जाता है । यह रोजगार का एक महत्वपूर्ण व विकसित होता हुआ स्वरूप है । इन कामगारों की संख्या करोड़ों में है और ये मुख्य रूप से कृषि कार्यों, बागानों, निर्माण उद्योग, पत्तनों एवं गोदियों, तेल क्षेत्रों, कारखानों, रेलवे, जहाजरानी, विमान सेवा, सड़क परिवहन आदि के कार्य में लगे हैं ।

10.2 ठेका श्रम (विनियम एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 को इन कामगारों के हित को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियमित किया गया। श्रम यह ऐसी प्रत्येक स्थापना/ठेकेदार पर लागू होता है जिसमें 20 अथवा अधिक कर्मचारी कार्यरत हों । यह सरकारी प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक प्राधिकरणों पर भी लागू होता है ।

10.3 केन्द्र सरकार का रेलवे, बैकों, खानों आदि जैसी स्थापनाओं पर नियंत्रण है तथा राज्य सरकारों का उस राज्य में स्थित यूनिटों पर नियंत्रण रहता है ।

10.4 केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के परामर्श बोर्ड, जिसमें सरकार, नियोक्ताओं एवं कामगारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, सम्बन्धित सरकारों को अधिनियम के प्रशासन के दौरान सामने आने वाले मामलों, जो कि उन्हें भेजे जाते हैं, मुख्य रूप से स्थापनाओं में ठेका श्रम प्रणाली के उन्मूलन के प्रश्न पर, सुझाव देते हैं ।

10.5 केन्द्रीय परामर्श ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, जो कि एक त्रिपक्षीय निकाय है, का पुनर्गठन 24 जून, 2002 को किया गया तथा गैर सरकारी सदस्य तीन वर्ष तक पद पर बने रहते हैं । बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. एस.बालकृष्णम राजू को 10 जून, 2005 को, तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की चार बैठकें आयोजित हुई तथा 67वीं बैठक 30-31 अक्तूबर, 2006 को नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

10.6 बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने अनुसंधान केन्द्र इमारत; विज्ञान कांचा, हैदराबाद एवं गैरीसन इंजीनियर (I), अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान केन्द्र इमारत, चन्द्रयानगट्टा, केशवगिरि पोस्ट, हैदराबाद, गैरीसन इंजीनियर (I) के अधीन डिफेन्स इन्सट्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एन अलाइड साइन्सेज, अनुसंधान एवं विकास, तिमारपुर,दिल्ली,मैसर्स बामर एण्ड लॉरी कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता, ग्रीस डिवीजन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड, सैक्सपियर सरनी, कोलकाता, 700017, गैरीसन इंजीनियर (I) के अंतर्गत रक्षा अग्नि अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान एवं विकास संगठन, लखनऊ रोड, तिमारपुर दिल्ली, केन्द्रीय भंड़ारण निगम, गाँव-गाजीपुर, पटपड़गंज दिल्ली एवं भारतीय रिजर्व बैंक की नेशनल क्लियरेन्स सैल, नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठानों में झाडू लगाने और सफाई; तथा विद्युत उप-केन्द्र; विद्युत उप केन्द्र एवं पम्प गृह के प्रचालन एवं अनुरक्षण, विद्युत उप-केन्द्रों एवं पम्प गृह के अनुरक्षण, कटैनर एवं कार्गो के आयात एवं नियति कार्य, सड़क के वाहन में उन्हें लादने तथा उतारने कंटेनर में भरने तथा उसे खाली करने; तथा कंटेनर एवं कार्गो के आयात तथा निर्यात के कार्य, सड़क के वाहन में उन्हें लादने तथा उतारने तथा कंटेनर में उन्हें भरने तथा खाली करने के कार्य में ठेका श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध कर दिया है।

10.7. प्रत्येक प्रतिष्ठान एवं ठेकेदार जिस पर यह अधिनियम लागू होता है को पंजीकरण कराना

ठेका कार्य कराने के लिए लाइसेंस लेना होता है। ठेका श्रमिकों की मजदूरी, कार्य के घंटे, कल्याण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित हितों को सुरक्षित रखा जाता है । ठेका श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुख-सुविधाओं में कैंटीन, विश्राम कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएँ तथा कार्य करने के स्थान पर पीने के पानी आदि जैसी अन्य मूल आवश्यकताएँ उपलब्ध करवाया जाना शामिल है। मजदूरी तथा अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित करवाने की मुख्य जिम्मेदारी ठेकेदार की है और ऐसा न होने पर प्रधान नियोक्ता की होती है ।

10.8 आपातकालीन स्थिति में किसी स्थापना अथवा ठेकेदार को अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने से छूट दी जाती है ।

10.9 केन्द्रीय क्षेत्र में मुख्य श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) एवं उनके अधिकारियों की अध्यक्षता में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.) को अधिनियम के उपबंधों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। प्रवर्तन कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण **तालिका** 10.1 में दिया गया है ।

तालिका 10.1

ठेका श्रम (विनियम एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 का प्रवर्तन

क्रम सं.	विषय	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1.	मूल नियोक्ताओं को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या	720	590	747
2.	ठेकेदारों को जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	6788	7277	7317
3.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	4991	4540	5759
4.	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	71632	59301	60206
5.	चलाये गए अभियोजनों की संख्या	3896	3356	2991
6.	अपराधों की संख्या	2072	2018	1017
7.	लाइसेंस द्वारा कवर्ड ठेका श्रमिकों की संख्या	853690	968792	983707
8.	रद्द किए गए लाइसेंसों की संख्या	4014	6601	7632
9.	रद्द किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या	52	08	211